

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 984 - काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/11-142 पी / 87 (टी०सी०)

दिनांक ०५ नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.10.2011 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप सं० 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 19.02.2009 के निर्गमन तिथि से पूर्व, जिन सहायक अभियन्ताओं को दिनांक 01.01.2006 से 18.02.2009 के मध्य द्वितीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य हैं अथवा जिनको इस मध्य अनुमन्य होना है (उनकी स्वीकृति उपरान्त), उन्हें ग्रेड-पे रु० 8700/- के स्थान पर अवर अभियन्ता (जिन्हें तृतीय समयबद्ध वेतनमान मिल रहा है), के समान ग्रेड-पे रु० 8900/- अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्तानुसार ग्रेड-पे अनुमन्य कराये जाने के फलस्वरूप दिनांक 19.07.2010 तक कोई अवशेष देय नहीं होंगे।

2. निदेशक मण्डल के उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के मध्य वेतन समतुल्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप सं० 422-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/11-142 पी/86 (टी०सी०) दिनांक 16.05.2011 एवं 473-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/11-142 पी/86 (टी०सी०) दिनांक 31.05.2011 को निर्गमन की तिथि से निरस्त किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० 984 (1)- काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/10 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 6- समस्त निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17, जे० रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 11- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 14- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 15- अनु सचिव (सचिवालय प्रशासन - लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(क्रमशः.....2)

- 16- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
- 17- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 18- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 12.10.2011 को सम्पन्न सत्तासी वी बैठक के मद्दत सं० (34/11) में लिखे गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
- 19- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 20- अधिसूची अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट, www.uppci.org पर अपलोड करने हेतु।

759

आज्ञा से

(विजय किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (क्रा०वि०नी०)